न्यूज़ टुडे

गृह मंत्रालय ने ICJS 2.0 में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) को निर्देश दिया है कि वह तीन नए आपराधिक कानूनों को **इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 (ICJS 2.0)** में पूरी तरह से लागू करने की प्रक्रिया को सुगम बनाए।

- गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में **ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई-साइन** और **ई-समन** जैसे एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए।
  - **ई-साक्ष्य:** यह एप्लीकेशन साक्ष्यों के प्रबंधन में सहायता करता है।
  - **न्याय श्रुति:** यह एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से न्यायिक कार्यवाही को आसान बनाता है।
- सभी आपराधिक मामलों में पंजीकरण से लेकर मामले के निपटान तक पूर्व-निर्धारित चरण और समय-सीमा में **अलर्ट जनरेट किए जाने चाहिए, ताकि जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।**
- मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जांच अधिकारियों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए NCRB द्वारा एक डेटा समृद्ध प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए।

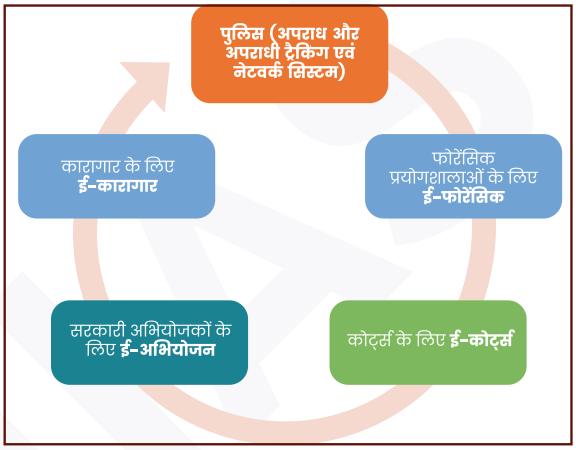

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के बारे में

ICJS का विचार **सुप्रीम कोर्ट** की **ई-समिति** ने दिया था। अब इसे **गृह मंत्रालय** के तहत एक प्रमुख परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

- **उद्देश्य:** आपराधिक न्याय प्रणाली के **अलग-अलग स्तंभों** के बीच **डेटा और सूचना के सुगम हस्तांतरण** को सक्षम बनाना (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **मुख्य फोकस: अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) को ई-कोर्ट और ई-कारागार डेटाबेस** के साथ-साथ फोरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट एवं अभियोजन जैसे न्यायपालिका के अन्य स्तंभों के साथ जोड़ना।
  - इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों **में "वन डेटा वन एंट्री"** का लक्ष्य हासिल करना है।
- **कार्यान्वयन:** इसे NCRB द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
- **समय-सीमा: चरण- I** (2018-2022) एवं चरण- II (2022-23 से 2025-26)।

आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **सेफ सिटी प्रोजेक्ट:** यह गृह मंत्रालय के अधीन एक पायलट पहल है। इसके पहले चरण में देश के 8 शहरों को शामिल किया गया है, ताकि **स्मार्ट पुलिसिंग** को बढ़ावा दिया जा सके।
- **राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS):** NCRB द्वारा लागू की जा रही इस प्रणाली से अपराधियों की शीघ्र और सटीक पहचान की सुविधा मिलती है।
- केंद्रीय एवं राज्य स्तर की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में **DNA का विश्लेषण करने वाली यूनिट्स को मजबूत किया जा रहा है।**
- **कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (CIPA):** इसे पुलिस स्टेशनों पर विभिन्न प्रक्रियाओं (जैसे- FIR दर्ज करना, आदि) को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

भारत सरकार ने सुशासन दिवस मनाया

2014 से प्रत्येक वर्ष **25 दिसंबर** को पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर **सुशासन दिवस (Good Governance Day) मनाया जाता है।**

- नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावी, कुशल और जवाबदेह तरीके से शासन करने की प्रक्रिया को **'सुशासन'** कहा जाता है।
- संयुक्त **राष्ट्र ने सुशासन के आठ लक्षण बताए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।**

शुरू की गई नई पहलें

सुशासन दिवस के अवसर पर **कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय** ने निम्नलिखित प्रमुख पहलों की शुरुआत की है:

- **विकसित पंचायत कर्मयोगी:** यह **"प्रशासन गांव की ओर" अभियान** का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य नवीन साधनों और क्षमता-निर्माण फ्रेमवर्क के माध्यम से **पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को मजबूत बनाना** है।
  - इसे ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में चलाया जा रहा है। इसके तहत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, AI-चैटबॉट्स और मोबाइल ऐप्स का उपयोग करते हुए ज्ञान एवं सूचना के अभाव को पूरा कर सेवा वितरण में सुधार किया जाता है।
- **एकल एवं सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म: इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (e-HRMS) को भविष्य पोर्टल (ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग प्रणाली)** के साथ एकीकृत करके पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है।
- **पेंशन संबंधी निर्देशों का सार-संग्रह, 2024:** इसमें पेंशन से संबंधित सभी अपडेटेड नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है।

भारत में सुशासन को सुनिश्चित करने के समक्ष चुनौतियां: भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी, राजनीति का अपराधीकरण, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर, कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन, आदि।

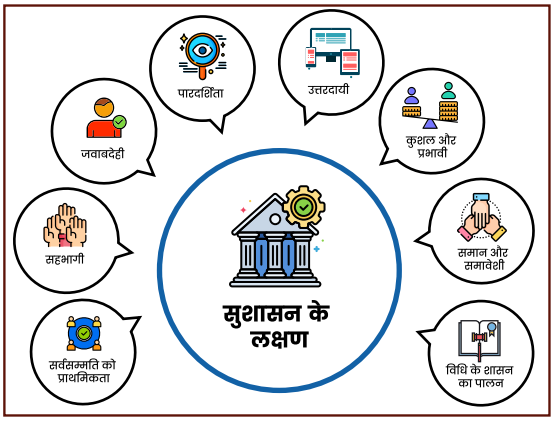

सुशासन के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **सुशासन सूचकांक:** यह राज्यों में गवर्नेंस की स्थिति का आकलन करता है।
- **प्रगति/ PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन):** यह सरकारी प्रोग्राम की निगरानी के लिए एक प्लेटफॉर्म है।
- **मिशन कर्मयोगी:** यह सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने से संबंधित केंद्र सरकार की एक पहल है।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** बुनियादी सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार हेतु।
- **कल्याणकारी योजनाएं:** जैसे- जल जीवन मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY), आयुष्मान भारत, आदि।

दक्षिण कोरिया बना 'सुपर-एज्ड (Super-Aged)' समाज

हाल ही में, दक्षिण कोरिया की **इंटीरियर एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री** ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि **दक्षिण कोरिया एक 'सुपर-एज्ड' समाज बन गया है।** इसका मुख्य कारण यह कि दक्षिण कोरिया की आबादी का **20% से अधिक हिस्सा 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का हो गया है।**

- इसलिए अब **जापान** के बाद **दक्षिण कोरिया** एशिया में **'सुपर-एज्ड' समाज वाला दूसरा देश बन गया** है।
- **संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, किसी देश को:**
  - **'एजिंग (Aging)'** का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की जनसंख्या में **65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 7%** से अधिक हो जाए;
  - **'एज्ड (Aged)'** का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की जनसंख्या में **65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 14% या उससे अधिक** हो जाए; तथा
  - **'सुपर-एज्ड (Super-aged)'** का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की **जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 20% से अधिक** हो जाए।

वृद्धजनों की स्थिति

विश्व स्तर पर

- वैश्विक स्तर पर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या **2020 में एक अरब** थी। अनुमान है कि यह **2050 तक बढ़कर 2.1 अरब** हो जाएगी।
- जनसंख्या में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी प्रारंभ में **जापान जैसे उच्च आय वाले देशों में** देखी गई थी। हालांकि, अब वृद्धजनों की आबादी **निम्न और मध्यम आय वाले देशों** में भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक इन देशों में वृद्ध जनसंख्या की हिस्सेदारी **दो-तिहाई** तक पहुंच सकती है।

भारत में

- **UNFPA 2023** के अनुसार, **2050 तक** भारत की **कुल जनसंख्या में वृद्धजनों की आबादी 20% से अधिक हो सकती है।**

किसी देश में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी से जुड़ी चुनौतियां

- **आर्थिक:** जैसे- कार्यबल में कमी, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर होने वाले व्यय में वृद्धि, आदि।
- **सामाजिक:** इसके कारण वृद्धजनों की देखभाल करने में परिवारों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उनके देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को अधिक समय निकालना पड़ता है, जनरेशन गैप को दूर करने का प्रयास करना पड़ता है और साथ ही सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने की भी आवश्यकता पड़ती है।
- **अवसंरचना:** वृद्धजनों की आबादी बढ़ने से शहरों को अपनी परिवहन व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है ताकि बुजुर्गों को आसानी से और सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद मिल सके।

उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर

- **संयुक्त राष्ट्र-मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग (2002):** इसका उद्देश्य वृद्धजनों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति (2016-2020):** इसमें **हेल्दी एजिंग** और **आयु-अनुकूल परिवेश** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs):** संयुक्त राष्ट्र के **SDG 3 (स्वास्थ्य)** और **SDG 10 (असमानता को कम करना)** के माध्यम से वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **2021-2030** को **यू.एन. डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग** घोषित किया गया है।

भारत में

- लोक स्वास्थ्य बीमा के रूप में **आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** शुरू की गई है।
- वृद्धजनों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **1999** में **राष्ट्रीय वृद्धजन नीति** की घोषणा की गई थी।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007:** इस कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है।
- **वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE):** इसके तहत निवारक (Preventive), उपचारात्मक (Curative) और पुनर्वासात्मक (Rehabilitative) चिकित्सा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

प्रधान मंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में **केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना (KBLP)** की आधारशिला रखी। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसे **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।
  - **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** को अगस्त, 1980 में तत्कालीन **केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय** (वर्तमान में **जल शक्ति मंत्रालय**) द्वारा तैयार किया गया था।
  - NPP के तहत **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)** का गठन किया गया है। NWDA ने देश में **30 रिवर लिंक्स की पहचान** की है। इनमें से **16 प्रायद्वीपीय क्षेत्र** और **14 हिमालयी क्षेत्र** में हैं।
- **नदी जोड़ो परियोजना का महत्त्व**
  - **सिंचाई सुविधा:** राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) का लक्ष्य देश के लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास करना है।
  - **जल विद्युत उत्पादन:** इससे **लगभग 34,000 मेगावाट जल विद्युत के उत्पादन** में मदद मिल सकती है।
  - **जल सुरक्षा:** इससे **पेयजल और औद्योगिक** उद्देश्यों के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी।
  - **अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास:** इनका उपयोग नौवहन के लिए जलमार्ग के रूप में किया जा सकता है।
  - **अन्य:** बाढ़ और सूखा प्रबंधन; **कृषि आधारित उद्योगों का विकास;** इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान और उसके बाद **रोजगार सृजन, पर्यटन का विकास,** आदि।
- **नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित चिंताएं**
  - **पर्यावरणीय प्रभाव:** इससे प्राकृतिक प्रणालियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इससे मानसून और जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - **सामाजिक प्रभाव:** उदाहरण के लिए- पोलावरम लिंक परियोजना के कारण लगभग 1 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 80% आदिवासी हैं। यह परियोजना, महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना का हिस्सा है।
  - **अन्य:** राज्यों के बीच जल विवाद, हिमालयी नदियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवाद, आदि।

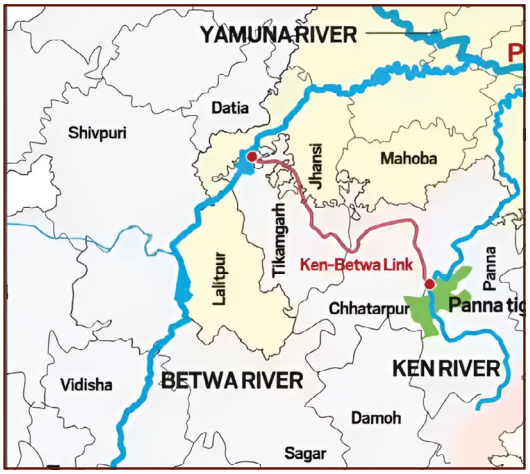

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना (KBLP) के बारे में

- इस परियोजना के अंतर्गत **केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित** करने की योजना है। इसके लिए केन नदी पर **दौधन बांध** एवं दोनों नदियों को आपस में जोड़ने वाली नहर का भी निर्माण किया जाएगा।
- KBLP परियोजना के प्रथम चरण में **दौधन बांध कॉम्प्लेक्स और लो-लेवल टनल, केन-बेतवा लिंक नहर एवं बिजलीघरों का निर्माण** किया जाना है।
- इस परियोजना के दूसरे चरण में **लोअर ओर बांध (Lower Orr dam), बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना** और **कोठा बैराज** का निर्माण किया जाएगा।

2023-24 के लिए "अनिगमित क्षेत्रक के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE)" के नतीजे जारी किए गए

ASUSE सर्वेक्षण को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत कार्यरत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा** जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण **अक्टूबर, 2023 से सितंबर, 2024** तक की अवधि के लिए जारी किया गया है।

अनिगमित क्षेत्रक के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) के बारे में

- इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भारत में निर्माण (Construction) क्षेत्रक को छोड़कर **विनिर्माण, व्यापार** और **सेवा क्षेत्रक** में मौजूद **अनौपचारिक या अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों** की विभिन्न आर्थिक और परिचालन विशेषताओं का आकलन करना है।
- **उपयोग और अन्य उद्देश्य:**
  - यह **नीति निर्माण के लिए इनपुट** प्रदान करता है।
  - यह सर्वेक्षण **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी** और प्रमुख मंत्रालयों की डेटा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - यह **डेटा-आधारित निर्णय लेने में मदद** करता है, आदि।

इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

- अनिगमित क्षेत्रक में **प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़कर 7.34 करोड़** हो गई है। इसमें 2022-23 की तुलना में **12.84% की वृद्धि दर्ज की गई है।**
  - **महिलाओं के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों का प्रतिशत** 2022-23 में 22.9% था, जो बढ़कर 26.2% हो गया है। यह महिला उद्यमिता में वृद्धि को दर्शाता है।
- चालू कीमतों पर **सकल मूल्य वर्धन (GAV)** में इस क्षेत्रक के योगदान में **16.52% की वृद्धि** हुई है। इसका मुख्य कारण **अन्य सेवा क्षेत्रक** में हुई वृद्धि है।
- इस क्षेत्रक में **12 करोड़ से अधिक श्रमिक** काम करते हैं। साथ ही, चालू कीमतों पर **प्रति श्रमिक GVA** में **5.62% की वृद्धि** हुई है। गौरतलब है कि प्रति श्रमिक GVA किसी क्षेत्रक की श्रम उत्पादकता का एक माप है।
- **इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों का प्रतिशत** 2022-23 में 21.1% था, जो **बढ़कर 26.7%** हो गया है। यह वृद्धि डिजिटल विकल्प को अपनाने की दिशा में एक मजबूत ट्रेंड को दर्शाती है।

अनिगमित गैर-कृषि क्षेत्रक का महत्त्व:

- यह क्षेत्रक **रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद** में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- यह **उद्यमशीलता को भी बढ़ावा** देता है।
- यह क्षेत्रक घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में अपने महत्वपूर्ण योगदान के चलते **निगमित क्षेत्रक यानी संगठित क्षेत्रक** के लिए एक आधार के तौर पर काम करता है।

अनिगमित क्षेत्रक (Unincorporated Sector) के प्रतिष्ठानों के बारे में

- अनिगमित क्षेत्रक के प्रतिष्ठानों को **कंपनियों की तरह अलग से पंजीकृत नहीं** किया जाता है। इसलिए ये **अपने मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति और दायित्वों से अलग नहीं** होते हैं।
- अनिगमित क्षेत्रक के प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली सभी संपत्तियां **मालिक की निजी संपत्ति** होती हैं।
- अनिगमित क्षेत्रक के प्रतिष्ठानों की कानूनी हैसियत सीमित होने के कारण, वे **अन्य संस्थाओं के साथ स्वतंत्र** अनुबंध नहीं कर सकते और न ही उनकी देनदारियों को अपने ऊपर ले सकते हैं।
- उत्पादन के दौरान होने वाले **किसी भी ऋण या दायित्व के लिए मालिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं।**

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (M-PACS) का शुभारंभ किया

हाल ही में, 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (M-PACS) के साथ-साथ **डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों** का भी उद्घाटन किया गया।

- केंद्र सरकार ने अगले **5 वर्षों में 2 लाख नये पैक्स (PACS) के गठन** का लक्ष्य रखा है।

पैक्स (PACS) के बारे में

- **परिचय:** पैक्स ग्रामीण भारत में सहकारिता आंदोलन की आधारशिला हैं। ये समितियां ग्रामीण किसानों को सहकारी ऋण संरचना के तहत **अल्पकालिक ऋण, बीज, उर्वरक और अन्य सेवाएं** प्रदान करती हैं।
- **प्रमुख कार्य:** पैक्स के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं- किसानों को ऋण प्रदान करना, ऋणों का संग्रह करना और पुनर्भुगतान करना; किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का वितरण करना; किसानों के उत्पादों को खरीदना; आदि।
  - ये ग्रामीण **ऋणी और उच्चतर वित्त-पोषण एजेंसियों** (जैसे कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं RBI/ नाबार्ड) के बीच अंतिम कड़ी के रूप में भी कार्य करती हैं।
  - **सदस्यता:** ग्रामीण किसान, कारीगर और समाज के कमजोर वर्गों के लोग पैक्स में शेयरधारक के रूप में शामिल हो सकते हैं।
  - **विनियमन:** पैक्स **सहकारी सोसायटी अधिनियम** के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं। संबंधित राज्य के **रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी (RCS)** द्वारा इनका प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है।
    - ये समितियां **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के दायरे में **नहीं** आती हैं और RBI द्वारा भी प्रत्यक्ष तौर पर इनका विनियमन नहीं किया जाता है।
  - **महत्त्व:**
    - ये समितियां **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देती हैं।
    - ये समितियां **सहकारी बैंकिंग प्रणाली** की आधारशिला हैं।
    - ये समितियां **कृषक समुदायों** को ऋण प्रदान करने वाले **संस्थागत स्रोतों,** कृषि इनपुट, बाजार, मूल्य संवर्धन आदि से जोड़ती है।

पैक्स (PACS) के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **संगठनात्मक कमियां:** अपर्याप्त भौगोलिक कवरेज और कमजोर क्रेडिट यूनिट्स, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन के समक्ष एक बड़ी चुनौती हैं।
- **अपर्याप्त वित्तीय संसाधन:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में आवश्यक अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण के मामले में इनके वित्त पर्याप्त नहीं हैं।
- **बहुत अधिक मात्रा में ऋण बकाया:** पैक्स के कुल ऋण का 40% से अधिक हिस्सा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के रूप में वर्गीकृत है।
- **अन्य:** कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, डिजिटल अवसंरचना की कमी, आदि।

पैक्स (PACS) को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई पहलें

किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि के रूप में पैक्स	पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना
पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उपनियम	सहकार से समृद्धि (सहयोग के माध्यम से समृद्धि) अभियान

अन्य सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के अवसर पर कुछ प्रमुख पहलें शुरू की हैं।

- प्रत्येक वर्ष **24 दिसंबर** को **राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस** मनाया जाता है। गौरतलब है कि **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986** को 24 दिसंबर के दिन ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।

शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें

- उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए **'जागो ग्राहक जागो' ऐप, 'जागृति' ऐप,** और **'जागृति डैशबोर्ड'** का शुभारंभ किया गया है।
- गवर्नेंस और परिचालन में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही को बढ़ाने के लिए **नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी ई-मैप** की शुरुआत की गई है।
- तीव्र शिकायत समाधान, बहुभाषी समर्थन और AI-संचालित सुविधाएं प्रदान करने के लिए **संशोधित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल (NCH 2.0)** को शुरू किया गया है।

यूनाइटेड नेशंस डिसइंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स (UNDOF)

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ब्रिगेडियर अमिताभ झा** को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमिताभ झा **यूनाइटेड नेशंस डिसइंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स** के तहत **गोलन हाइट्स** पर तैनात थे।

UNDOF के बारे में

- **मुख्यालय: कैम्प फौआर** (सीरिया के हिस्से वाला गोलन हाइट्स)।
- इसे इजरायल और सीरिया के बीच 1974 के **डिसइंगेजमेंट ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट** के बाद **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** के **संकल्प 350 (1974)** द्वारा स्थापित किया गया था।
- **सौंपे गए कार्य:** गोलन हाइट्स में एरिया ऑफ सेपरेशन (डिमिलिटराइज्ड बफर ज़ोन) और एरिया ऑफ लिमिटेशन (इजरायली एवं सीरियाई सैनिकों के लिए निर्धारित सीमाएं) की निगरानी करना तथा युद्ध विराम को बनाए रखना।
  - **हर 6 महीने में इन कार्यों का नवीनीकरण किया जाता है।** वर्तमान में इसे जून, 2025 तक नवीनीकृत किया गया है।
- भारत, UNDOF में **तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता** है।

अधिक अनुदान (Excess Grant)

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) ने केंद्र सरकार के चार मंत्रालयों द्वारा अधिक व्यय किए जाने की शिकायत की है।

अधिक अनुदान के बारे में

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115** में अनुपूरक (Supplementary), अतिरिक्त (Additional) या अधिक (Excess) अनुदान का प्रावधान है।
- **अधिक अनुदान की मांग:** किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर स्वीकृत बजट से अधिक व्यय होने की स्थिति में, राष्ट्रपति को संसद के समक्ष अधिक अनुदान की मांग करनी होती है।

किलाऊआ ज्वालामुखी

हाल ही में, **हवाई के बिग आइलैंड** पर **किलाऊआ ज्वालामुखी** में विस्फोट हुआ है।

- ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित गैसों का लगभग 99% हिस्सा जलवाष्प (H_2O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), और सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) से बना होता है।
- शेष 1% में अल्प मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि शामिल होते हैं।

किलाऊआ ज्वालामुखी के बारे में

- यह विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- **स्थान:** यह USA के हवाई द्वीप के बिग आइलैंड के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है।
- **विशेषताएं:**
  - ज्वालामुखी का शिखर ढहकर एक **काल्डेरा** (एक विस्तृत और उथला गड्ढा) बन गया है।
  - इसकी **ढलानें** हवाई के **वोल्केनो नेशनल पार्क** में स्थित ज्वालामुखी मौना लोआ के साथ लगती हैं।

भूस्खलन झील (Landslide Lake)

हाल ही में, उत्तराखंड के कुमाऊं-हिमालय रेंज में भूस्खलन के कारण बना एक तालाब एक वर्ष से भी कम समय में विशाल झील में तब्दील हो गया है। इसे लेकर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।

भूस्खलन जनित बांध बनने से निर्मित झील के बारे में

- **निर्माण:** इनका निर्माण **विभिन्न भू-आकृति संरचना वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूगर्भीय हलचलों** की एक विस्तृत श्रृंखला के परिणामस्वरूप होता है।
- **निर्माण की प्रक्रिया:**
  - **बांध का निर्माण:** यह खासकर संकीर्ण और चट्टानी पर्वती ढलानों से घिरी नदी घाटियों में पृथ्वी के धंसने, मडफ्लो, चट्टानों और मलबे के गिरने के कारण निर्मित होता है।
  - **झील का निर्माण:** बाँध के पीछे नदी से लगातार पानी के जमाव के कारण झील का निर्माण होता है।
- **संबंधित घटना:** भूस्खलन बांध के टूटने से आने वाली प्रचंड बाढ़ (LDOF)।

कावेरी इंजन

कावेरी इंजन को **इनफ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी** दे दी गई है। यह **भारत की एयरोस्पेस आत्मनिर्भरता** की दिशा में एक बड़ा कदम है। कावेरी इंजन को DRDO के तहत **गैस टर्बाइन रिसर्च** प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है।

कावेरी इंजन परियोजना के बारे में

- **प्रारंभ: हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस** को शक्ति प्रदान करने के लिए **1980 के दशक के अंत में** कावेरी इंजन परियोजना शुरू की गई थी।
  - बाद में, DRDO ने कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ताकि UAV में इसका उपयोग किया जा सके।
- **वर्तमान क्षमता:** ड्राई कावेरी इंजन 49-51 kN का थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जो **घातक स्टील्थ UCAV जैसे UAV के लिए उपयुक्त है।**
- **महत्त्व:** यह एक रणनीतिक उपलब्धि है, जो **एयरो-इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी।**

हैजा (Cholera)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यमन विश्व में हैजा से **सबसे अधिक प्रभावित देश है।**

हैजा के बारे में

- हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जो तीव्र दस्त और डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। यह विब्रियो कॉलेरी (Vibrio cholerae) नामक जीवाणु से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है।
- अधिकांश लोगों में हैजा के कोई लक्षण नहीं होते या हल्के लक्षण होते हैं। इनका उपचार **ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS)** से किया जा सकता है।
  - यदि समय पर इलाज उपलब्ध न हो तो यह घातक हो सकता है।
- सुरक्षित पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई (WASH) तक लोगों की पहुंच हैजा की रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **ओरल कोलेरा वैक्सीन** (OCV) हैजा को रोकने और नियंत्रित करने में मदद कर सकती है।

आर्किया

आर्किया के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह सुराग मिला है कि सूक्ष्मजीव **टॉक्सिन-एंटीटॉक्सिन (TA) सिस्टम** की सहायता से **कठोर परिस्थितियों के अनुकूल ढलकर जीवित रहते हैं।**

- TA सिस्टम **कई बैक्टीरिया और आर्किया में पाए जाते हैं।** इसमें आमतौर पर एक टॉक्सिन (Toxin) होता है, जो एक महत्वपूर्ण कोशिकीय प्रक्रिया को रोकता है। साथ ही, इसमें एक एंटीटॉक्सिन (Antitoxin) भी होता है, जो संबंधित टॉक्सिन को निष्क्रिय करता है।

आर्किया के बारे में

- **आर्किया ऐसे जीव हैं जो बिना किसी केंद्रक (Nucleus) के एक कोशिका से बने होते हैं।**
- आर्किया जीवन के तीन प्रमुख डोमेन में से एक हैं- अन्य दो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स हैं।
- **आर्किया विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं,** जिनमें अत्यधिक कठोर दशाएँ, जैसे- गहरे समुद्र के रिफ्ट वेंट्स या गर्म झरने शामिल हैं।

कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन (1924)

26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी (पहले बेलगाम/ बेलगांव) में **कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन (1924)** का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है।

1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के बारे में

- यह **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन** था। यह कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता **महात्मा गांधी** ने की।
- **बेलगाम अधिवेशन का महत्त्व:**
  - इस अधिवेशन में **गांधीजी** ने **'स्वराज'** और **'सर्वोदय'** के विचार पर चर्चा की।
  - इस अधिवेशन में **कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार** किया गया, सदस्यता शुल्क में 90% की कटौती की गई तथा सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - बेलगाम में **अस्पृश्यता के खिलाफ** अलग से सम्मेलन आयोजित किया गया था।
  - **हिंदू-मुस्लिम एकता, सार्वजनिक सेवा हेतु पारिश्रमिक और खादी के अनिवार्य उपयोग** पर बल देने के लिए मजबूत प्रस्ताव पारित किया गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

26 दिसंबर, 2024 को **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)** का **100वां स्थापना दिवस** मनाया गया।

CPI के बारे में

- **स्थापना: दिसंबर, 1925 में कानपुर** में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट सम्मेलन के दौरान **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)** की स्थापना हुई थी।
  - इस सम्मेलन की अध्यक्षता **सिंगारावेलु चेट्टियर** ने की थी।
- **गठन के कारण:** ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के प्रति बढ़ता असंतोष, 1917 की रूसी क्रांति की सफलता के बाद वैश्विक स्तर पर समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा का लोकप्रिय होना, आदि।
- **प्रमुख नेता: एम.एन. रॉय, अबनी मुखर्जी,** आदि।
- **स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान:**
  - स्वतंत्र भारत के **संविधान का मसौदा** तैयार करने के लिए **संविधान सभा** के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में **एम.एन. रॉय** द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
  - इसने **मजदूर और किसान आंदोलनों को संगठित करने** तथा **अखिल भारतीय किसान सभा** जैसे संगठनों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।